न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 94 / 2022
वादी :– किशनाराम पुत्र श्री सांवलराम, जाति माली निवासी ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. मलाराम पुत्र सांवलराम
2. नारायणराम पुत्र सांवलराम
3. सुखाराम पुत्र सांवलराम
4. केलीदेवी पुत्री सांवलराम
5. बालुराम पुत्र धीराराम
6. रामचन्द्र पुत्र धीराराम
7. गणपत पुत्र भीकाराम
8. रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम
9. नाथुराम पुत्र भंवरलाल
10. गुडिया देवी पुत्री भंवरलाल
11. गोपीदेवी पुत्री भंवरलाल
12. पपूदेवी पुत्री भंवरलाल
13. पिन्टादेवी पुत्री भंवरलाल
14. जमनादेवी पत्नी भंवरलाल

    समस्त जातियान माली निवासीगण ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
15. श्रीमान तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थितिः– वादी की ओर से श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 1 से 14 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या– 15 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांकः–** 13/01/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की सयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुद जमीन ग्राम भावी जाटाबास की राजस्व सीमा में खसरा सं. 2474 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2475 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2479 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2481 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2482 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5530 / 2479 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा 10 कुल रकबा 2.0953 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी का 3 / 35 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 3 / 25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 3 / 25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3 / 25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1 / 50 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1 / 6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1 / 6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 से 14 का 1 / 6 हिस्सा स्थित है। वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी एवं कब्जा काश्त की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काश्त व उपयोग व

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उपभोग करते आ रहे है। वादी अपने हिस्से की भूमि में समय समय पर सुधार कार्य करवाता रहा अब और सुधार कार्य करवाने हेतु अपना हिस्सा को अलग करवाकर जमीन को उपजाऊ व कीमती बनाना चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़ा बाबत् प्रस्ताव कई बार रखा लेकिन किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा ही सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। वादी ने दिनांक 19.07.2022 को हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर अलग–अलग दर्ज करवाने की बात प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने एलानिया कहा कि मै किसी भी व्यक्ति को बैचान कर सकता हूँ एवं मै जहा चाहू जिस भाग पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा सकता हूँ। राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा किसी भी सूरत में नही करेंगे। अर्थात प्रतिवादीगण बिना बंटवाड़ा किये कच्चा पक्का निर्माण करने पर आमादा है। वादी को राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा करवाने का पूर्णरूप से कानूनी अधिकार प्राप्त है। वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना न्यायहित में जरूरी है। इसलिए बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी की आई हुई है मौके पर नाप चौप कर आपसी सहमति से पक्षकारों द्वारा बंटवाड़ा किया जाना है। प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड में बिना बंटवाड़ा किये जबरदस्ती कच्चा पक्का निर्माण करने पर आमादा है, जिसकी जानकारी वादी को होने पर प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग दर्ज करवाने की बात की तब प्रतिवादीगण ने एलानिया कहा कि हम अपने हिस्से की राजस्व रेकर्ड में स्थित वादग्रस्त भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकते है। वादी के हिस्से व कब्जा काश्त की भूमि का वादी को जबदस्ती उपयोग व उपभोग नही करने देगे तथा किसी भी सूरत में राजस्व रेकर्ड व मौके पर बंटवाड़ा नही होने देंगे, ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण की किसी प्रकार से दखलंदाजी उत्पन्न नही करे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा के वास्ते रोका जाना जरूरी है। इसलिए वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है।

अन्त में दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर वादी का हिस्सा अलग किया जावे तथा लगान अलग–अलग किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावे तथा वादी के हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखल अन्दाजी उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण व उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट आदि को हमेशा के वास्ते जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 14 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी का दावा दिनांक 18.04.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 2474 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2475 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2479 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2480 रकबा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2481 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2482 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5530/2479 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा 10 कुल रकबा 2.0953 हैक्टेयर में स्थित वादी के 3/25 वां हिस्से का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	किसनाराम पुत्र सावलराम जाति माली सा.देह खातेदार	2474 2477 2478	0.0809 0.1133 0.0354
		कुल 3	0.2296
2	नारायणराम पुत्र सावलराम जाति माली सा.देह खातेदार	2478	0.2296
		कुल 1	0.2296
3	मलाराम पुत्र सावलराम जाति माली सा.देह खातेदार	2482	0.2296
		कुल 1	0.2296
4	सुखाराम पुत्र सावलराम जाति माली सा देह खातेदार	2478 2480	0.0921 0.1375
		कुल 2	0.2296
5	रामचन्द्र पुत्र धीराराम जाति माली सा.देह खातेदार	2478 2479	0.1523 0.1134
		कुल 2	0.2657
6	बालूराम पुत्र धीराराम जाति माली सा.देह खातेदार	2482	0.2656
		कुल 1	0.2656
7	गुडियादेवी पुत्री भंवरलाल 1/18 गोपीदेवी पुत्री भंवरलाल 1/18 जमनादेवी पत्नी भंवरलाल 1/18 नाथूराम पुत्र भंवरलाल 1/18 पप्पूदेवी पुत्री भंवरलाल 1/18 पिन्टादेवी पुत्री भंवरलाल 1/18 गणपतराम पुत्र भीखाराम 1/3 रूकडी देवी पत्नी भीखाराम 1/3 जाति माली सा.देह खातेदार	2475 2476 2478 2481	0.0809 0.1133 0.0488 0.0226
		कुल 4	0.2656
8	बालूराम पुत्र धीराराम 1/3 रामचन्द्र पुत्र धीराराम 1/3 गणपतराम पुत्र भीकाराम 1/9 रूकडी देवी पत्नी भीकाराम 1/9 नाथूराम पुत्र भंवरलाल 1/54 गुडिया देवी पुत्री भंवरलाल 1/54 गोपीदेवी पुत्री भंवरलाल 1/54 जमनादेवी पत्नी भंवरलाल 1/54 पप्पूदेवी पुत्री भंवरलाल 1/54 पिन्टा देवी पुत्री भंवरलाल 1/54 जाति माली सा.देह खातेदार	2481 2482	0.0809 0.0405
		कुल 2	0.1214

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

9	किसनाराम पुत्र सांवलराम 1/8 नारायणराम पुत्र सावलराम 1/8 मलाराम पुत्र सावलराम 1/8 सुखाराम पुत्र सांवलराम 1/8 रामचन्द्र पुत्र धीराराम 1/6 बालूराम पुत्र धीराराम 1/6 गणपतराम पुत्र भीकाराम 1/18 रूकडी देवी पत्नी भीकाराम 1/18 नाथूराम पुत्र भंवरलाल 1/108 गुडिया देवी पुत्री भवरलाल 1/108 गोपीदेवी पुत्री भंवरलाल 1/108 जमनादेवी पत्नी भंवरलाल 1/108 पप्पूदेवी पुत्री भंवरलाल 1/108 पिन्टा देवी पुत्री भंवरलाल 1/108 जाति माली सा.देह खातेदार	2479 2481 2482 5530/2479	0.1131 0.0421 0.0953 0.0081
		कुल 4	0.2586

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 26.11.2024 के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 2474 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2475 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2479 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2481 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2482 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5530/2479 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा 10 कुल रकबा 2.0953 हैक्टेयर के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 26.11.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 13/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
किसनाराम		मलाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 94 / 2022

निर्णय **दिनांक :–** 13/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई, प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 15 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा सं. 2474 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2475 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2476 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2477 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.5582 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2479 रकबा 0.2265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2480 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2481 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2482 रकबा 0.6310 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5530 / 2479 रकबा 0.0081 हैक्टेयर कुल खसरा 10 कुल रकबा 2.0953 हैक्टेयर के सम्बंध में प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 26.11.2024 के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादी के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकददमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।
बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाडा